

आदेबा

समाहती, मधेपुरा के आदेबा दिनांक 13-11-2013 तथा राजस्व पोरषद, बिहार, पाना के अधिसूचना संख्या- 4/टेक/20013/96-175 दिनांक 27-02-2006 के आलोक में इस कार्मलूम के निर्गत शाप संख्या-711 दिनांक 07-11-2013 के संशोधित करने हुए मुहर्रम के अक्सर पर विधि एक्ससा बनाये रखने हेतु दिनांक 14-11-2013 के बदले में दिनांक 15-11-2013 को जिला के सभी शराब दुकानें बन्द रहेंगी।

आदेबा का उलंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

—

प्र० अधोसक उत्पाद,
मधेपुरा।

शाप संख्या 723/उ०, दिनांक 13.11.2013

प्रतिश्रीप समाहती, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिश्रीप जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी (D.P.R.O.)

मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिश्रीप जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आर०सी०,

मधेपुरा को देवसागुठ पर भयल्लाउ करने हेतु प्रेषित।

प्रतिश्रीप निरीक्षक उत्पाद मधेपुरा सह अंचल अवर निरीक्षक उत्पाद सदर सह उदगीकानुगंज सह मधुमठागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेशित किया जाता है कि जिले के सभी शराब दुकानों को बन्द कराना सुनिश्चित करेंगे तथा सख्त गश्ती एवं हाफमारी करेंगे ताकि किसी भी शैतन से शराब को विक्री नहीं हो सके।

प्रतिश्रीप प्रतिनिधि सर्वश्री महाचर्मा बालीलिंग प्लान्ट प्रा० लि०, देशी शराब विनिर्माणशाला, मधेपुरा/प्रबन्धक, पी०एस० बी०सी० एल० देशी शराब/मसालेदार देशी शराब/विदेशी शराब, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11/13

प्र० अधोसक उत्पाद,
मधेपुरा